राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–2195, 2196, 2197, 2198, 2199/2011/अलवर

वाणिज्यिक कर अधिकारी
प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, जयपुर। ...अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स ग्लोबस स्प्रिटस लि.,
श्यामपुर बहरोड, अलवर। ...प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य
श्री के.एल.जैन, सदस्य

उपस्थित : :
श्री डी.पी.ओझा
उप राजकीय अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से
श्री विवेक सिंघल
अभिभाषक ....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 31.07.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त पांच अपीलें, राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे " **अधिनियम 1994**" कहा जायेगा) की धारा 85 एवम् राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "**अधिनियम 2003**" कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत उपायुक्त, वाणिज्यिक कर (अपील्स), अलवर (जिसे आगे "**अपीलीय अधिकारी**" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश क्रमशः दिनांक 19.05.2011, 19.05.2011, 25.01.2011, 25.01.2011 व 25.01.11 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है, जो अपील संख्या 20 व 19/आर.एस.टी./2010–11/उपा/अपील्स/प्रथम/अलवर तथा 52, 54, व 56/आर वैट/2009–10/उपा/प्रथम/अलवर में, निर्धारण अवधि वर्ष 2004-05, 2005–06, 2007–08, 2008–09 व 2009–10 (दिनांक 01.04.2009 से 31.12.2009) के संबंध में पारित किये गये है के विरूद्व प्रस्तुत की गयी हैं।

2. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, घट–प्रथम, वृत्त–द्वितीय, राजस्थान, जयपुर (जिसे आगे "सर्वेक्षण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा दिनांक 13.01.2010 को किया गया। वक्त सर्वेक्षण, सर्वेक्षण अधिकारी ने पाया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा निर्धारण वर्ष 2004–05 व 2005–06 के दौरान मैसर्स ट्रम्फ डिस्ट्रीलीज एण्ड विंटनर्स प्रा.लि. (जिसे आगे "टी.डी.वी.ए.पी.एल" कहा जायेगा) के लिये भारत में निर्मित विदेशी मदिरा (जिसे आगे "आई.एम.एफ.एल" कहा जायेगा की ग्रीन

लगातार...........2

लेबल व्हिस्की व एल्काजर वोदका (फ्रेन्चाईजी ब्रॉड्स) का विनिर्माण अनुबंध के तहत किया जाता है। इसी प्रकार निर्धारण वर्ष 2007—08 2008—9 व 2009—10 (दिनांक 01.04.2009 से दिनांक 31.12.2009) के लिये मैसर्स एलाईड ब्लेण्डर्स एण्ड डिस्ट्रीलीज प्रा.लि. (जिसे आगे "ए.बी.ए.डी.पी.एल" कहा जायेगा) के लिये ऑफीसर्स च्वाईस क्लासिक व्हिस्की तथा गलास गेन वोदका का विनिर्माण अनुबंध के तहत किय गया है। इस संबध में सर्वेक्षण अधिकारी ने यह मानकर कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अनुबंधित कम्पनियें को आलोच्य अवधियों में ई.एन.ए. (एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल) का विक्रय किया गया है तथा उक्त का अनुबंधित कम्पनियों को विक्रय कर आई.एम.एफ.एल के निर्माण हेतु, जारी किया गया है तथा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपर्युक्त वर्णित दोनों अनुबंधित कम्पनियें से इस संबंध में किये गये विक्रय के लिये पृथक् से भुगतान प्राप्त कर, इसका पृथक् से लेखांकन कर किया गया है। अतः ई.एन.ए. का विक्रय होना अवधारित कर, आलोच्य अवधि मे उक्त विक्रय को नियमित लेखा—पुस्तिकाओं में दर्ज नहीं कर, देय कर का भुगतान नहीं करने व विक्रय विवरणियों में जानबूझकर इसके विक्रय को घोषित नही करने तथा स्प्रिट/ई.एन.ए. के विक्रय को छिपाये जाने के कारण, करापवंचन/परिवर्जन का अभियेाग दर्ज कर, सर्वेक्षण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी की अभियेाग पत्रावली आयुक्त के कर नीति पत्र क्रमांक प.(3)(म)/ज्यूरिस/कर/आयुक्त/97/536 दिनांक 07.08.2009 की पालना में, वृत्त के सक्षम निर्धारण अधिकारी का निष्पादन हेतु प्रेषित की। निर्धारण अधिकारी ने इस संबध में अपीलार्थी व्यहारी को हेतु दर्शाने हेतु नोटिस जारी कर, समय—समय पर सुनवायी कर, आलोच्य अवधियों के निर्धारण आदेश पारित कर, मांग राशियां कायम कर दी। कर निर्धारण अधिकारी ने अपने कर निर्धारण आदेशों में यह माना कि अनुबंध, राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 64(1) एवं विक्रय कर अधिनियम की धारा 2(39), 2(44), /कर अधिनियम की धारा 2(36), 2(41) के आधार पर मैसर्स ग्लोबल स्प्रिटस लिमिटेड द्वारा एग्रीमेन्ट के अनुसार आई.एम.एफ.एल. की सिर्फ ब्लेंडिग, बोटलिंग द्वारा मैसर्स ट्रायम्फ डिस्टीलरिस एवं विन्टर्स प्रा.लि. को स्प्रिट का विक्रय करना सिद्ध होता है जिसके आधार पर रिप्रट की बिक्री पर कर ब्याज एवं शास्ति आरोपित की। कर निर्धारण अधिकारी ने आबकारी शुल्क Transportation Fees को स्टेट्यूटरी लेवी मानते हुए विक्रय मूल्य का भाग मानकर कर, ब्याज व शास्ति का आरोपण किया है। इसी प्रकार Freight Outward राशि पर भी कर, ब्याज व शास्ति का आरोपण किया। व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उपरोक्त आदेशों के विरूद्व अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर उनके द्वारा अपीलाधीन निर्णयों द्वारा आई.एम.एफ.एल. के

लगातार...........3

निर्माण में ई.एन.एन. के प्रयोग को विक्रय मानने के संबंध में व क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर अपील अस्वीकार की गई परन्तु Transportation Fee व Freight Outward के बिन्दु पर व्यवहारी की अपीलें स्वीकार की गई। अपीलार्थी द्वारा आई.एम.एफ.एल. के निर्माण में ई. एन.एन. के प्रयोग को विक्रय मानकर व करारोपण करने की अपीलीय आदेश में पुष्टि करने के विरूद्व माननीय राजस्व कर बोर्ड में अपील सं. 786, 787, 788, 985, 986 / 2011 / अलवर मैसर्स ग्लोबल स्प्रिटस लि. बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रस्तुत की गई थी जिनमे माननीय कर बोर्ड द्वारा पारित संयुक्त आदेश दिनांक 01.08.2011 में व्यवहारी की अपील स्वीकार करते हुए आई.एम.एफ.एल के निर्माण में ई.एन.ए. के प्रयोग को विक्रय नहीं माना तथा इस बिन्दु पर आरोपित कर ब्याज व शास्ति को अपास्त कर अपीलें स्वीकार की गई। दूसरी और अपीलीय अधिकारी के Transportation Fee व Freight Outward के बिन्दु पर व्यवहारी की अपीलें स्वीकार कर कर, ब्याज व शास्ति को अपास्त करने के निर्णय के विरूद्व राज्य पक्ष की ओर से उक्त विचाराधीन अपीलें प्रस्तुत की गई हैं। ट्रांसपोर्टेशन फीस व Freight Outward के संबंध में आरोपित कर का विवरण निम्न प्रकार है :–

अपील सं.	ट्रांसपोर्टेशन फी पर कर राशि रू.	फ्रेट आउटवर्ड पर कर राशि रू.
2195 / 2011	17,30,000	1,40,000
2196 / 2011	17,62,511	1,36,066
2197 / 2011	6,80,076	52,428
2198 / 2011	6,99,920	1,23,957
2199 / 2011	4,96,717	8,78,112

3. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी राजस्व के विद्वान उपराजकीय अभिभाषक की ओर से कथन किया गया कि आबकारी विभाग के प्रावधानो के अनुसार Transportation Fee चुकाने का दायित्व निर्माता व्यवहारी का है, यह एक स्टेट्यूटरी लेवी है जिसके बिक्री से पूर्व जमा कराने का दायित्व होने के कारण यह बिक्री का भाग है तथा विक्रय कर अधिनियम की धारा 2(39) / अधिनियम की धारा 2(36) के अनुसार कर योग्य है। उन्होंने बताया कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा आलोच्य अवधि में की गई ई.एन.ए. की बिक्री पर देय Transportation Fee की गणना निर्धारित दर के आधार पर ही की जाकर Transportation Fee की राशि निर्धारित की गई है। इस संबंध में उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय Mecdowell & Co. Ltd. V/s VCTO (1985) 59 STC (SC) का हवाला देते हुए कथन किया कि उक्त निर्णय आबकारी शुल्क से संबंधित है, जो कि एक

लगातार...........4

स्टेट्यूटरी लेवी है तथा इस निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायलय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया कि चाहे इसे आबकारी विभाग में क्रेता व्यवहारी के द्वारा चुकाई गई हो उथवा विक्रेता व्यवहारी के द्वारा चुकायी गयी हो, इसके निर्माणकर्ता/विक्रेता व्यवहारी की बिक्री का भाग ही माना जावेगा। अतः Transportation Fee, जो कि एक स्टेट्यूटरी लेवी है उस पर आरोपित किया गया कर, ब्याज एवं शास्ति विधिसम्मत है। इसके अलावा बताया कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा आलोच्य अवधि में Freight Outward के रूप में जो राशि चुकायी गयी है उसका क्रेता व्यवहारी से भुगतान प्राप्त किया गया है लेकिन इस Freight Outward की राशि को आलोच्य अवधि के टर्नओवर में सम्मिलित नहीं किया है एंव ना ही इस पर कर वसूल किया है जबकि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा, माल का विक्रय एफ.ओ.आर डेस्टीनेशन की शर्त पर किया जाता है अतः Freight Outward की राशि पर आरोपित किया गया कर, ब्याज एवं शास्ति विधिसम्मत है परन्तु प्रथम अपीलीय अधिकारी ने विधिविरूद्व इन बिन्दुओं पर अपील स्वीकार की है, अतः राजस्व की ओर से प्रस्तुत अपीलें स्वीकार कर इन बिन्दुओं पर आरोपित कर, ब्याज व शास्ति को बहाल किया जावे।

5. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी व्यवहारी की ओर से तथ्य बताते हुये कथन किया कि स्टेट्यूटरी ट्रांसपोर्टेशन फीस व्यवहारी द्वारा आबकारी विभाग को नहीं दी जाती है। इन्होंने कथन किया कि राजस्थान में आबकारी विभाग के प्रावधानों के अनुसार जिस क्रेता व्यवहारी को ई.एन.ए. की खरीद करनी होती है, उसे राज्य के आबकारी विभाग से परमिट लाकर संबंधित विक्रेता व्यवहारी को देना होता है तथा आबकारी विभाग संबंधित क्रेता व्यवहारी को परमिट तभी जारी करता है, जबकि वह निर्धारित Transportation Fee जमा कराकर आबकारी विभाग में चालान पेश कर दें। राजस्थान एक्साईज एक्ट एवं उसके नियमों के अनुसार Transportation Fee जमा कराने की जिम्मेदारी अपीलार्थी कम्पनी की नहीं है तथा अपीलार्थी कम्पनी ने ई.एन.ए. की बिक्री करते समय कोई Transportation Fee किसी भी क्रेता व्यवहारी से संग्रहित नहीं की है और न ही क्रेता व्यवहारी से इस मद का कोइ भुगतान प्राप्त किया है अतः ऐसी स्थिति में बिना किसी आधार के सक्षम अधिकारी ने क्रेता व्यवहारियों द्वारा उनके स्तर पर आबकारी विभाग को चुकाई गई Transportation Fee की राशि का अपीलार्थी कम्पनी की बिक्री मानकर विवादित आदेश में अविधिक रूप से कर, ब्याज एवं शास्ति का आरोपण किया है, जो विधिसम्मत रूप से प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किया गया है। विद्वान अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि सक्षम अधिकारी द्वारा विवादित आदेश में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय Mecdowell & Co. Ltd. V/s VCTO (1985) 59 STC (SC) का

उल्लेख किया है। जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय Mecdowell & Co. Ltd. V/s VCTO (1985) 59 STC (SC) के तथ्य, विवादित मामले के तथ्यों से भिन्न होने के कारण अपीलार्थी के प्रकरण में लागू नहीं होते हैं क्योंकि यह निर्णय केन्द्रीय एक्साईज ड्यूटी से संबंधित है जिसकी देयता निर्माणकर्ता से संबंधित है। विद्वान अ.प्र. आउटवर्ड फ्रेट चार्ज के बिन्दु पर आरोपित कर, ब्याज व शास्ति पर इन्होंने यह भी कथन किया कि फ्रेट चार्जेज के संबंध में कर आरोपण करना भी विधिसम्मत नहीं था क्योंकि व्यवहारी द्वारा कोई फ्रेट अलग से वसूल नहीं किया गया है तथा फ्रेट की राशि व्यवहारी द्वारा स्वयं वहन की गई है। उक्त कथनों के साथ विक्रय राशि सम्मिलित होने से उस पर कर सग्रंहित हो चुका है अतः अलग से फ्रेट राशि पर करारोपण त्रुटिपूर्ण व तथ्यों के विरूद्ध है। राजस्व की ओर से प्रस्तुत अपीलें खारिज करने हेतु निवेदन किया।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :–

7. सर्वप्रथम इस बिन्दु पर विचार किया जाता है कि व्यवहारी कम्पनी द्वारा विक्रय किये गये ई.एन.ए. से संबंधित आबकारी विभाग को चुकाई गई Transportation Fee को स्टेट्यूटरी लेवी मानकर इसे बिक्रय का भाग मानते हुए विक्रय कर अधिनियम / कर अधिनियम के अन्तर्गत करारोपण किया जाना चाहिए या नहीं।

सक्षम अधिकारी ने ट्रांसपोर्टेशन फीस पर करारोपण के संबंध में यह आधार लिया है कि आबकारी विभाग के प्रावधानों के अनुसार ई.एन.ए. की बिक्री के पूर्व आबकारी विभाग में फीस जमा कराना आवश्यक है तथा इसे चुकाने की जिम्मेदारी व्यवहारी की है, क्योंकि ई.एन.ए. का विक्रय करने पर निर्माणकर्ता को Transportation Fee जमा कराने का प्रमाण–पत्र आबकारी विभाग को देना होता है। अतः सक्षम अधिकारी ने Transportation Fee, जिसे आबकारी विभाग में विक्रेता व्यवहारी जमा कराए अथवा क्रेता व्यवहारी, इसके भुगतान की जिम्मेदारी निर्माणकर्ता व्यवहारी कम्पनी की निर्धारित करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय की आधार बनाकर इस Transportation Fee को स्टेट्यूटरी लेवी मानते हुए विक्रय कर अधिनियम की धारा 2(39) एवं 2(44) / कर अधिनियम की धारा 2(36) एवं धारा 2(41) के प्रावधानों के अनुसार बिक्री का भाग होना निर्धारित करते हुए इसे व्यवहारी कम्पनी द्वारा आलोच्य अवधि की बिक्री में घोषित नहीं करने के कारण करापवंचित बिक्री मानते हुए विवादित आदेश में कर, ब्याज एवं शस्ति का जो आरोपण किया गया है। इस संबंध में राजस्थान एक्साईज एक्ट, 1950 की धारा 28 के अनुसार Excise Duty जिसमें काउण्टर वेलिंग ड्यूटी भी

लगातार...........6

शामिल है, अधिरोपित किये जाने का प्रवधान है लेकिन इस ड्यूटी में Transportation Fee को शामिल नही किया गया है। आबकारी विभाग के एक्साईज एक्ट एवं इसके नियमों के अनुसार Transportation Fee Excise Duty नहीं होकर इससे भिन्न फीस है। अतः इसकी देयता के संबंध में राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 69(बी) की व्याख्या किया जाना समीचीन है, जिसके अनुसार –

" Ri;e 69 (B). Fees for certain permits- The under mentioned fees are prescribed for a permit for import into, export outside or transport within the State of Rajasthan of the following exciable articles:-

S.No.	Name of the excisable articles	Permit fee payable
1	Methy Alcohot (methanol)	Rs. 1.00 per litre
2	Denaured spirit and denatured spirituous preparation	Rs. 2.00 per litre
3	Indian made foreign liquor	Rs. 3.50 per litre
4	Country Liquor	Rs. 5.00 per Bulk Litre
5	Foreign Liquor	Rs. 4.00 per litre
6	Bhang	Rs. 5.00 per K.G.

Explanation – Permit fee mentioned against S.No. 3 and 4 above shall be charged at the stage when goods shall pass over form a wholesaler to retailer and this fee shall be charged from the retailer.

अतः राजस्थान आबकारी नियमो के उक्त विवेचित नियम 69(बी) के अनुसार क्रम संख्या–2 पर ई.एन.ए. से संबंधित Transportation Fee रू. 2/– प्रति लीटर निर्धारित है तथा अन्य क्रमांकों पर अन्य मदों की Transportation Fee निर्धारित है। इस नियम के अनुसार क्रम संख्या–3, 4 के मदों पर Transportation Fee चुकाने का दायित्व Wholseller से Retailer को माल बेचते समय निर्धारित किया है तथा Wholseller को Retailer से ऐसी फीस वसूलने का अधिकार है। प्रविष्टि सं.–3 व 4 के अलावा प्रविष्टियों के लिये Wholseller द्वारा Retailer से भी Transportation Fee संग्रहित नहीं की जाती है। यह प्रकरण ENA से संबंधित है, जो कि प्रविष्टि संख्या–2 पर है, जिस पर विक्रेता व्यवहारी को Transportation Fee चार्ज नहीं करनी हैं। आबकारी विभाग के अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों के अनुसार ई.एन.ए. की बिक्री से संबंधित आबकारी विभाग को निर्धारित Transportation Fee व्यवहारी कम्पनी के द्वारा चुकाये जाने का दायित्व निर्धारित नहीं है बल्कि क्रेता व्यवहारी ई.एन.ए. खरीदना चाहता है, जिसके लिए वह अपने क्षेत्र के संबंधित आबकारी अधिकारी से परमिट प्राप्त करने के लिए आवेदन करता है तथा आवेदन के साथ ई.एन.ए. की Transportation Fee भी जमा कराकर चालान प्रस्तुत करता है उसके बाद आबकारी विभाग द्वारा क्रेता व्यवहारी को परमिट जारी किया जाता है, जिसमें विक्रेता व्यवहारी का नाम भी अंकित होता हैं क्रेता व्यवहारी द्वारा

लगातार............7

ऐसा परमिट प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही व्यवहारी कम्पनी द्वारा उसमें अंकित मात्रा एवं विवरण के अनुसार क्रेता व्यवहारी को ई.एन.ए. का विक्रय किया जाता है। विक्रय मूल्य एवं टर्न ओवर के संबंध में विक्रय कर अधिनियम की धारा 2(39) एवं 2(44) तथा वैट अधिनियम की धारा 2(36) एवं 2(41) का उल्लेख समीचीन है :–

विक्रय कर अधिनियम 1994

(39) "sale price" means the amount paid or payable to a dealer as consideration for the sale less any sum allowed by way of any kind of discount or rebate according to the practice normally prevailing in the trade, but inclusive of any sum charged for anything done by the dealer in respect of the goods at the time of or before the delivery thereof;

Explanation II : Where according to the terms of a contract the cost of freight and other expenses in respect of the transportation of goods are incurred by the dealer for or on behalf of the buyer, such cost of freight and other expenses shall not be included in the sale price but the burden of such proof shall lie on the dealer.

(44) "turnover" means the aggregate amount received or receivable by a dealer for sales as referred to in clause (38) including the purchase price of the goods which are subject to purchase tax under section 11 of the Act;

Explanation : Tax charged or collected and shown separately in the sale bill/cash memorandum or in the accounts shall not form part of turnover.

वैट ~~कर~~ अधिनियम 2003

(36) **"sale price"** means the amount paid or payable to a dealer as consideration for the sale of any goods less any sum allowed by way of any kind of discount or rebate according to the practice normally prevailing in the trade, but inclusive of any statutory levy or any sum charged for anything done by the dealer in respect of the goods or services rendered at the time of or before the delivery thereof, except the tax imposed under this Act;

Explanation III. – Where according to the terms of a contract, the cost of freight and other expenses in respect of the transportation of goods are incurred by the dealer for or on behalf of the buyer, such cost of freight and other expenses shall not be included in the sale price, if charged separately in the invoice;

(41) **"turnover"** means the aggregate amount of sale price received or receivable by a dealer including purchase price of the goods which are subject to tax under sub–section (2) of section 4 "but shall exclude the sale price or part of sale price, if any, in respect of sales of goods which were purchased in the State by the dealer upon payment of tax on the maximum retail price of such goods or, where tax on maximum retail price of such goods were paid in the State on an earlier occasion;

उपरोक्त विधिक प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि विक्रय कर अधिनियम की धारा 2(39)/वैट अधिनियम की धारा 2(36) के अनुसार केवल वही राशि विक्रय कीमत का हिस्सा होगी जो विक्रेता व्यवहारी क्रेता व्यवहारी से प्राप्त करता है या विक्रेता व्यवहारी को देय है। इस प्रकरण में Transportation Fee Excise Deptt. को क्रेता व्यवहारी द्वारा

लगातार..........8

चुकाई जाती है व विक्रेता व्यवहारी का इस भुगतान से कोई सम्बन्ध नहीं है ऐसी स्थिति में सक्षम अधिकारी ने व्यवहारी कम्पनी द्वारा विक्रय किये गये ई.एन.ए. के संबंध में संबंधित क्रेता व्यवहारियों द्वारा परमिट लेते समय उनके आबकारी विभाग को चुकाई गई Transportation Fee की राशि को व्यवहारी कम्पनी को विक्रय का भाग माना है, वह अविधिक है क्योंकि Transportation Fee Excise Duty नहीं है तथा राजस्थान आबकारी नियम 69(बी) के अनुसार इसे चुकाने का भार निर्माणकर्ता अथवा Wholseller का निर्धारित नहीं होकर क्रेता व्यवहारी का है। विधिक प्रावधान से यह स्पष्ट है कि विक्रय कर अधिनिमय की धारा 2(39)/कर अधिनिमय की धारा 2(36) के प्रावधानों के अनुसार "Sale Price" में माल की डिलीवरी देने से पूर्व विक्रेता व्यवहारी द्वारा वसूल की गई स्टेट्यूटरी लेवी शामिल होगी परन्तु उपरोक्त तथ्यात्मक विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि व्यवहारी कम्पनी द्वारा ई.एन.ए. की बिक्री के संबध में जारी बिलों में आबकारी विभाग की Transportation Fee की कोई राशि वसूल नहीं की गई है तथा ना ही बाद में उक्त Transportation Fee की राशि क्रेता व्यवहारियों से प्राप्त की गई है। इसलिए उक्त आधार पर भी विक्रय कर अधिनियम की धारा 2(39)/वैट अधिनिमय की धारा 2(36) के प्रावधानों के अनुसार यह बिक्री का भाग नहीं है। इसी प्रकार विक्रय कर अधिनियम की धारा 2(44)/कर अधिनिमय की धारा 2(41) में टर्नओवर को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार भी व्यवहारी कम्पनी द्वारा ई.एन.ए. की बिक्री के पेटे जो मूल्य क्रेता व्यवहारियों से प्राप्त किया है, उसमें Transportation Fee की राशि प्राप्त नही की गई है न ही प्राप्त की जाने योग्य प्रमाणित पाई गई है। इस संबंध में Mecdowell & Co. Ltd. V/s VCTO (1985) 59 STC (SC) का न्यायिक दृष्टांत भी इस प्रकरण में लागू नहीं होता क्योंकि यह न्यायिक दृष्टांत एक्साई ड्यूटी से संबंधित है जिसकी देयता निर्माणकर्ता की है जबकि इस प्रकरण में Transportation Fee का बिन्दु है जिसकी देयता का उत्तरदायित्व राजस्थान आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत निर्माणकर्ता/विक्रेता का नहीं है। उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि व्यवहारी कम्पनी द्वारा विक्रय किये गये ई.एन.ए. से संबंधित आबकारी विभाग को क्रेताओं द्वारा चुकाई गई Transportation Fee को स्टेट्यूटरी लेवी मानकर इसे विक्रय का भाग मानते हुए विक्रय कर अधिनियम/वैट अधिनियम के अन्तर्गत करारोपण नहीं किया जा सकता अतः अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उपरोक्त तथ्यों के आधार पर व्यवहारी कम्पनी की अपील इस बिन्दु पर स्वीकार की है वह विधिसम्मत है।

8. विचाराधीन प्रकरण में फ्रेट आउटवर्ड की राशि पर आरोपित कर ब्याज व शास्ति के बिन्दु पर विचार किया गया विक्रय कर अधिनियम/कर अधिनियम के अन्तर्गत करारोपण किया जाना चाहिए या नहीं।

लगातार...........9

कर निर्धारण अधिकारी ने फ्रेट आउटवर्ड की राशि जो ट्रांसपोर्टर को चुकाई गई है उस पर इस आधार पर करारोपण किया है कि व्यवहारी ने अपने टर्न ओवर में इसे सम्मिलित नहीं किया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इस करारोपण को इस आधार पर अपास्त किया है कि व्यवहारी कम्पनी द्वारा समस्त बिक्री FOR Destination के आधार पर की गई है तथा व्यवहारी कम्पनी द्वारा क्रेताओं से अलग से फ्रेट की राशि वसूल नहीं की है बल्कि फ्रेट की राशि व्यवहारी कम्पनी द्वारा स्वयं वहन की गई है जो विक्रय मूल्य में सम्मिलित है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी के ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे के भुगतान को समझने में भूल की है। यह राशि FOR destination होने की वजह से क्रेताओं तक माल पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की राशि का भुगतान है जो उसके लाभ हानि का पार्ट है जो व्यय है न कि प्राप्तियां। जब माल की डिलीवरी FOR destination होती है उस स्थिति में फ्रेट के खर्चे विक्रय मूल्य में शामिल होगे। विक्रेता यदि ऐसे मामलों में अलग से कोई राशि क्रेताओं से प्राप्त करता है तो वह राशि विक्रय मूल्य में जोडी जा सकती है जबकि इस प्रकरण में ट्रांसपोर्टेशन राशि क्रेताओं से प्राप्त करने का प्रश्न ही नहीं था एवं स्वयं कर निर्धारण अधिकारी भी Outward Trasnportaion Expenses ही बता रहे है तब वे व्यवहारी की प्राप्तियां न होकर माल के विक्रय व डिलीवरी तक में किये गये खर्चे है जो उसके कोस्ट का पार्ट होता है। इस तरह इस प्रकरण में यह स्पष्ट था कि व्यवहारी ने लेखों व विवरण पत्रों में दर्शाई विक्रय राशि के अलावा कोई राशि प्राप्त नहीं की है ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी के परिवहन हेतु व्यय की गई राशि को प्राप्तियां बताकर टर्न ओवर में शामिल करना पूर्णतया त्रुटिपूर्ण है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा उस व्यय राशि पर आरोपित कर, ब्याज व शास्ति को अपास्त करने मे कोई त्रुटी नही की है।

9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर राजस्व की ओर से प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार योग्य होने के कारण अस्वीकार की जाती है।

10. निर्णय सुनाया गया।

(के.एल.जैन)
सदस्य

(नत्थूराम)
सदस्य